

मध्यांचल विद्युत वितरण निगम लि० लखनऊ  
नलकूप व पम्पसेट के लिए/बिजली के लिए आवेदन पत्र

सेवा में सहायक/अधिशारी अभियन्ता  
विद्युत वितरण उपखण्ड/खण्ड(प्र०)



- (क) प्रार्थी का नाम व पता  
(ख) पिता का नाम  
(ग) नाम ग्राम जिसमें बिजली लेना है
- बिजली की शक्ति की मात्रा जिसके लिए आवेदन है राम प्रसाद बेटिया 750 हास पावर
- प्रार्थी का एकड़ों में वह क्षेत्र जिसकी नलकूप से सिंचाई की जायेगी 5 एकड़  
जमीन के टुकड़ों का पूरा विवरण उनका क्षेत्रफल  
संख्या स्थित आदि का पूरा विवरण
- इन्तखाब की नकल संलग्न की गई ।
- क्या नलकूप की बोरिंग खुदाई से की गई
- नलकूप की बोरिंग का खण्ड विकास अधिकारी रि. चौधरी  
का प्रमाण पत्र संलग्न किया गया ।
- इससे पूर्व कृषि योग्य भूमि की सिंचाई किस साधन से की जाती है इंजन से की जाती
- प्रार्थी के क्षेत्र तथ निकटवर्ती नहर के बीच की दूरी  
यदि किसी नलकूप नहर की 100 मी० की दूरी से कम स्थिति है तो  
बिजली की स्वीकृति के लिए अन्नोत्पत्ति प्रमाण पत्र के साथ संलग्न होगा ।
- नलकूप के स्थल से बिजली के निकटतम खम्भे 5  
की दूरी यदि कोई हो ।
- पाइप का व्यास चलनी(स्टेनर) की लम्बाई  
बोरिंग(खुदाई) की गहराई स्रोत की सतह  
पहले पहले पानी फूटने की सतह की गहराई  
संलग्नक: खसरा खतौनी/जोत बही छाया प्रति प्रमाणित ।

दिनांक

उपखण्ड अधिकारी की आख्या

राम प्रसाद  
प्रार्थी के हस्ताक्षर  
पत्र व्यवहार का पता  
बेटिया पोस्ट बेटिया  
सीतापुर

कृषक का नलकूप तकनीकी तौर पर दिया जा सकता है । यह .....स्कीम में होगा तथा  
11 के०वी०.....फीडर से दिया जायेगा/प्रस्तावित कृषक पर या परिवार के सदस्यों पर विद्युत  
सम्बन्धी कोई बकाया नहीं है । सिंचाई का कार्य .....द्वारा किया जाता है ।

अवर अभियन्ता

उपखण्ड अधिकारी

निजी नलकूप के प्रस्तावित स्थल गाटा संख्या.....में बोरिंग चालू हालत में है तथा  
सिंचाई का कार्य डीजल चालित इंजन से किया जा रहा है । बोरिंग है नया नल कूप वीजन  
अ०श० देने की संरतुति की जाती है ।

Y. K. Sharma  
खण्ड विकास अधिकारी  
विकास खण्ड सीतापुर  
खण्ड विकास अधिकारी  
सिधौली-सीतापुर

Y. K. Sharma  
अवर अभियन्ता  
सीतापुर